प्रारूप–घ

(नियम 6 का उपनियम 6 देखिए)

विकास परमिट के अन्तिम अनुमोदन के लिए प्रारूप

प्रेषक,

नियत प्राधिकारी
विनियमित क्षेत्र,
शाहजहाँपुर।

सेवा में,

सांईं इन्फ्रा डेवलपर्स,
द्वारा–1. जितेन्द्र कुमार गुप्ता (पार्टनर)
2. मोहित अरोड़ा (पार्टनर)
मॉडल टाउन, शाहजहाँपुर।

महोदय,

ग्राम हथौड़ा बुजुर्ग तहसील सदर, जनपद शाहजहाँपुर स्थित भूमि खसरा नं0–440/1 एवं 441 पी, 446पी, 447 पी, 448, 449, 450 पी, 452 पी, 453, 454पी, 455, 455पी, 467पी, 468पी, 468पी, (ग्राम हथौडा बुजुर्ग) कुल क्षेत्रफल 9810 वर्ग मीटर पर भूमि के उपविभाजन एवं विकास की अनुज्ञा स्वीकृत करने के लिए आपके आवेदन पत्र सं0–246/2018–19 दिनांक 09.10.2018 के साथ संलग्न विन्यास मानचित्र को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. विन्यास मानचित्र के लिए स्वीकृति की अवधि आर0बी0ओ0एक्ट 1958 के प्राविधानानुसार 5 वर्ष वैध रहेगी। तदोपरान्त, नवीनीकरण हेतु आवेदन करना होगा एवं विकास कार्य के शुरू करने से पूर्व कार्य की सूचना निर्धारित प्रपत्र ङ पर कार्यालय में देनी होगी।
2. कपट से प्राप्त अनुमति को किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है।
3. भूमि का स्वामित्व सिद्ध करने के लिए इस नक्शे का उपयोग किसी भी न्यायालय या कार्यालय में वैध न समझा जाये।
4. विन्यास मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है, केवल उसी प्रयोग में लाया जाये।
5. स्वीकृत विन्यास मानचित्र का एक सैट निर्माण स्थल पर ही रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जांच अधिकारी द्वारा जांच की जा सके। आन्तरिक निर्माण/विकास कार्य मानचित्र में अंकित विशिष्टियों के अनुसार कराया जाये तथा अधिकृत तकनीकी व्यक्ति से नियमित पर्यवेक्षण कराया जाये। विकास कार्यों के स्थायित्व की जिम्मेदारी विकासकर्तागण की होगी। सड़क सरकारी लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री एकत्रित न की जाये।
6. प्रस्तावित विन्यास मानचित्र के आधार पर आपकी सूचना के क्रम में, श्री सचिन अग्रवाल, आर्किटैक्ट, शाहजहाँपुर से प्रस्तुत प्रमाण–पत्र के आधार पर आन्तरिक विकास कार्य का पर्यवेक्षण नियमित रूप से कराया जायेगा।

निरन्तर.....2 पर

नगर मजिस्ट्रेट/
नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र
शाहजहाँपुर

7. प्रस्तावित विन्यास मानचित्र की स्वीकृति आपके अनुबन्ध पत्र में बन्ध पत्र में अंकित विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है।

8. प्रस्तावित विन्यास मानचित्र में दर्शायी गयी सार्वजनिक उपयोग की व्यवस्था पार्क, सड़क, नाली आदि के स्थल पर स्वामित्व सौंपने हेतु स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी तथा विकास के लिए निर्धारित शुल्क भी अदा करने होंगे। अनुबन्ध पत्र एवं बन्ध पत्र के विपरीत कोई कार्य करने की स्थिति में, स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

9. प्रस्तावित कालोनी की जल निकासी की व्यवस्था विकासकर्ता को अपने संसाधनों से करनी होगी। तथा कालोनी के सीवरेज/ड्रेनेज के निस्तारण हेतु वांछित व्यवस्था आवेदक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी

10. भूखण्डों का विक्रय स्वीकृत तलपट मानचित्र के आधार पर ही किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। भूखण्डों का भवन निर्माण कार्य हेतु प्रथक–प्रथक भवन मानचित्र स्वीकृत कराने होंगे।

11. कालोनी के विकास के समय स्वीकृत तलपट मानचित्र का विवरण एवं इसकी विस्तृत सूचना सम्बन्धी बोर्ड स्थल पर स्थापित कराया जाना अनिवार्य है।

संलग्नकः–स्वीकृत तलपट मानचित्र की प्रति।

दिनांक–

14.01.2019

नगर मजिस्ट्रेट/

14.1.19

नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र,

शाहजहाँपुर।